राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 02/2022

बजरंगलाल पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल आयु 59 वर्ष निवासी वार्ड नं. 09 चिंचडोली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अपीलाण्ट

ब–ना–म

सरपंच ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

...........रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2022 नामा0 सं. 813

ग्राम पपुरना, ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी

उपस्थित :– श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट – अपीलाण्ट की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांकः– 21–06–2022**

अपीलाण्ट की ओर से अपील के आधारों से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 102 के खसरा नंबर 4011/1669 रकबा 0.51 है. भूमि में दर्ज खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022 को क्रय की थी और क्रय के दिन ही अपीलाण्ट ने क्रय शुदा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलाण्ट के नाम से दिनांक 27.04.2022 के विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 813 ग्राम पपुरना प्रक्रियाधीन था जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नामांतकरण विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर तस्दीक हेतु दिनांक 09.05.2022 को ग्राम पंचायत पपुरना के मिटिंग में सरपंच के समक्ष रखा तो रेस्पोडेण्ट ने राजनैतिक दबाव में आकर उक्त नामांतकरण को यह लिखते हुये खारिज कर दिया कि "विक्रय अस्वीकार है" जबकि रेस्पोडेण्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वह सक्षम अधिकारी के द्वारा तस्दीक किये गये दस्तावेज को अस्वीकार करे। रेस्पोडेण्ट ने बिना किसी आधार के नामांतकरण को अस्वीकार किया है। इस कारण अपीलाण्ट को यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 813 ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी को तहसीलदार, खेतड़ी को जांच कर पूर करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को [illegible] की गई। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत पपुरना की ओर से [illegible] नहीं आया, अतः रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

JSV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अपीलाण्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामांतरकरण सं. 813 (नामांतरकरण प्रपत्र प–21), जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 102 ग्राम पपुरना, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2022 पेश किये।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नामान्तरकरण सं0 813 एवं जमाबंदी संवत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं0 813 पटवारी हल्का पपुरना द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर पुर किया गया तथा भू0अ0 निरी0 खेतड़ी ने अपनी जांच में रिकार्ड का अंकन सही होना अंकित किया है, लेकिन ग्राम पंचायत पपुरना द्वारा अपने निर्णय में "बेचान अस्वीकार" किया जाता है, आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नही है, क्योंकि भूमि के विवाद से संबंधित प्रकरण पर निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। विवादित प्रकरणों का निस्तारण करने का अधिकार तहसीलदार को ही है। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 09.05.2022 ग्राम पंचायत पपुरना अपास्त किए जाने योग्य है।

ओदश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पपुरना के नामान्तरकरण सं0 813 का आदेश दिनांक 09.05.2022 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner